

# छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कंपनी)

/रायपुर, दिनांक: 23 DEC 2010

## आदेश

मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तारतम्य में म.प्र. विद्युत मण्डल के पुनर्गठन से अस्तित्व में आये उत्तरवर्ती राज्य विद्युत मण्डलों/संबंधित विद्युत मण्डलों की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत राज्य स्तरीय एवं गैर राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पारिवारिक कठिनाईयों, पति पत्नी के एक ही राज्य में सेवारत रहने एवं गृह राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी लाभों के परिपेक्ष्य में पारस्परिक/वैयक्तिक स्थानांतरण पर अंतिम रूप से विचार कर निर्णय लेने संबंधी सहमति/निर्णय के अनुरूप परिपत्र क्रमांक 01-05/पीडी-दो/708 दिनांक 21.06.2010 द्वारा प्रावधान जारी कर संबंधितों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये गये थे।

2. उक्त प्रावधानों के आलोक में प्राप्त आवेदनों के यथोचित परीक्षण एवं इस संबंध में म.प्र.रा.वि.मंडल से प्राप्त सहमति पत्र क्रमांक 01-07/छ.ग./5877 दिनांक 26.11.2010 के परिपेक्ष्य में वर्तमान में छ.रा. विद्युत कंपनी मर्या. (पूर्ववर्ती छ.रा.वि.मंडल) में कार्यरत निम्नांकित अधिकारियों की सेवाएं म.प्र.रा. विद्युत मण्डल के अंतर्गत स्थानांतरित की जाती है :-

क्र.	नाम सर्वश्री	पद	वर्तमान पदस्थापना	कर्मचारी संख्या
1	प्रेम सिंह चौहान	कार्यपालन यंत्री (पारे./वित.)	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, एस.टी.आर.ई., निर्माण संभाग, छ.रा.वि.वित.कं.मर्या., जगदलपुर	91456458
2	मुकुन्द नासेरी	सहायक यंत्री (पारे./वित.)	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर संभाग(पश्चिम) छ.रा.वि.वित.कं.मर्या., रायपुर	86340279

3. उपरोक्त अधिकारियों को म.प्र.रा.वि.मंडल में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उनके विरुद्ध संस्थित अनुशासनात्मक कार्यवाही, यदि कोई हो तो, यथाविधि पूर्ण कर ली गई है।


4. उपरोक्त अधिकारियों से संबंधित समस्त सेवा विवरण/सेवा पुस्तिका/गोपनीय प्रतिवेदन एवं अन्य अभिलेख कार्यमुक्ति उपरांत म.प्र.रा.वि.मंडल को उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जावे।

5. उपरोक्त अधिकारियों के भविष्य निधि खाते में जमा राशि एवं यथावश्यक अभिलेख म.प्र.रा.वि.मं. को प्रेषित करने की कार्यवाही सचिव(भविष्य निधि न्यास), छ.रा.वि.हो.क.मर्या., रायपुर कार्यालय द्वारा की जावे।

6. उक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे छ.रा.विद्युत कंपनी मर्या. से कार्यमुक्ति के पश्चात् सचिव, म.प्र.रा.वि.मंडल, जबलपुर के कार्यालय में उपस्थिति दें।

7. उपरोक्त अधिकारियों की सापेक्षिक ज्येष्ठता (रिलेटिव सीनियारिटी) का निर्धारण म.प्र.रा.वि.मं. द्वारा जारी परिपत्र क्र. 01-07/छ.ग./3167 दिनांक 18.06.2010 एवं छ.रा.वि.हो.क.मर्या. के परिपत्र क्र. 01-05/पीडी-दो/708 दिनांक 21.06.2010 में विहित प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।"
8. छ.रा. विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्या. एवं म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल के मध्य निर्मित सहमति के अनुसार इस आदेश के जारी होने के पश्चात ऐसे अन्य किसी प्रकरण पर विचार नहीं किया जावेगा।

आदेशानुसार

  
कार्यपालक निदेशक(मा.सं.)


छ.रा.विद्युत होल्डिंग कं.मर्या., रायपुर(छ.ग.)

/रायपुर, दिनांक: 23 DEC 2010

क्रमांक: 01-05/पीडी-दो/1706

प्रतिलिपि :-

1. कार्यपालक निदेशक( ), छ.रा.वि..... कं.मर्या, रायपुर ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल, जबलपुर ।  
उपरोक्त अधिकारियों की सेवाओं का म.प्र.रा.वि.मं. को अंतरण अति. सचिव(कार्मिक)-एक, म.प्र.रा.वि.मं., जबलपुर से प्राप्त सहमति पत्र क्रमांक 01-07/छ.ग./5877 दिनांक 26.11.2010 के तारतम्य में पारस्परिक स्थानांतरण के आधार पर किया गया है।
3. मुख्य अभियंता( ), छ.रा.वि..... कं.मर्या,.....
4. मुख्य सतर्कता अधिकारी, छ.रा.वि.वित.कं.मर्या, रायपुर।
5. मुख्य अभियंता(ई.आई.टी.सी.), छ.रा.वि.वित. कं.मर्या, रायपुर।
6. अति. मुख्य अभियंता( ), छ.रा.वि..... कं.मर्या,.....
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, छ.रा.वि..... कं.मर्या,.....
8. महाप्रबंधक( ), छ.रा.वि..... कं.मर्या,.....
9. अति. महाप्रबंधक( ), छ.रा.वि..... कं.मर्या,.....
10. मुख्य अग्निशमन सह सुरक्षा अधिकारी, छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर।
11. उप महाप्रबंधक(मा.सं.)-दो/सचिवालय, छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर।
12. उप महाप्रबंधक( ), छ.रा.वि..... कं.मर्या,.....
13. अधीक्षण यंत्री( ), छ.रा.वि..... कं.मर्या,.....
14. औद्योगिक संबंध अधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी/मुख्य विधि अधिकारी, छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर।
15. प्रबंधक(मा.सं.)/सचि./एक/तीन/चार/पांच/आठ, छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर।
16. कार्यपालन यंत्री( ), छ.रा.वि..... कं.मर्या,.....
17. अति./वरिष्ठ चिकित्साधिकारी/चिकित्साधिकारी, छ.रा.वि..... कं.मर्या,.....
18. वरि./क्षेत्रीय लेखाधिकारी/सहायक प्रबंधक(के.ले.ई.), छ.रा.वि..... कं.मर्या,.....
19. स्टॉफ आफिसर/निज सचिव संबद्ध अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, छ.रा.वि.....कं. मर्या, रायपुर।
20. गोपनीय अधिकारी, कार्यालय अति. महाप्रबंधक(मा.सं.), छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर।
21. ग्रंथालय अधिकारी, कार्यालय उप महाप्रबंधक(मा.सं.)-सचिवा., छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर।
22. श्री ..... द्वारा .....
23. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।  
- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
कार्यपालक निदेशक(मा.सं.)

छ.रा.विद्युत होल्डिंग कं.मर्या., रायपुर(छ.ग.)